संख्या–2173/9–आ–3/98–9 सी. क्यू./98टीसी

प्रेषक,

श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. नियंत्रक प्राधिकारी
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

3. आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 7 जूलाई, 1998

विषय : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों पुरातत्वीय, स्थालों के निकट निर्माण कार्यों को निषिद्ध करना व विनियमन।

महोदय,

भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण) नई दिल्ली, (पुरात्तव) की अधिसूचना संख्या 8/2/90 एम0 दिनांक 16.06.1992 के अनुसार संरक्षित स्मारकों/ पुरातत्वीय स्थलों के निकट या उससे लगी संरक्षित सीमाओं में 100 मीटर तक प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का नवनिर्माण, खनन, खदान किया, उत्खनन, विस्फोट या इसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं की जा सकती है, चाहें वह उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी क्यों न हो तथा उससे परे 200 मीटर तक विनियमित क्षेत्र में यदि कोई इस प्रकार कार्य व नियम 1959 के अध्याय–3 की धारा–10 को उपधारा (2) के अन्तर्गत तीन माह पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र देना अनिवार्य है तथा उक्त अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण/विकास कार्य लिया जा सकता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों/पुरातत्वीय स्थलों में प्रतिषिद्ध क्षेत्र एवं विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण/विकास कार्य की अनुमति दिये जाने के पूर्व भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 जून, 1992 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या–2173(1)9–आ–3–98 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव संस्कृतिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

एच.0 पी0 सिंह
अनुसचिव सचिव